

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

फरवरी-मार्च, 2006 सत्र

बुधवार, दिनांक 29 मार्च, 2006

तारांकित प्रश्नोत्तर

विधान सभा क्षेत्र कटघोरा में पेयजल समस्या के संबंध में

1. (*क्र. 2017) श्री बोधराम कंवर : क्या राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र कटघोरा, जिला कोरबा में कोयला खदानों से प्रभावित कौन-कौन से ग्राम पेयजल की समस्या से ग्रस्त हैं ? (ख) उक्त ग्रामों व टोलों/मोहल्लों में पेयजल की समस्या के निराकरण के लिए वर्तमान में क्या व्यवस्था है ? (ग) पेयजल समस्या के निराकरण के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (श्री केदार कश्यप) : (क) विधान सभा क्षेत्र कटघोरा, जिला कोरबा में विकासखंड कटघोरा के 22 ग्राम तथा विकासखंड पाली के 6 ग्राम कोयला खदानों से प्रभावित पेयजल की समस्या से ग्रस्त है, जिनका विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है. (ख) कोयला खदान से प्रभावित ग्राम व पारे, टोलों में पेयजल व्यवस्था की अद्यतन जानकारी का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है. (ग) कोरबा जिले के अंतर्गत दक्षिण पूर्व कोयला प्रक्षेत्र से प्रभावित 5 कि.मी. परिधि में आने वाले ग्रामों के पेयजल समस्या के स्थाई समाधान हेतु (स्टेज-1) प्राक्कलन अनुमानित लागत रु. 1089.00 लाख का तैयार किया गया है. इसका अनुमोदन एस.ई.सी.एल. मुख्यालय से किया जाना है. अनुमोदन पश्चात् आवश्यक कार्यवाही कर समस्या का स्थाई निदान किया जा सकेगा. विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार है.

कापू उप तहसील कार्यालय के भवन निर्माण के संबंध में

2. (*क्र. 2460) श्री रामपुकार सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले के अन्तर्गत कापू उप तहसील किस वर्ष से संचालित है ? (ख) क्या इस उप तहसील कार्यालय का स्वयं का भवन है ? (ग) यदि नहीं, तो भवन का निर्माण कब तक कर लिया जावेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री वृजमोहन अग्रवाल) : (क) वर्ष 1995 से संचालित है. (ख) जी नहीं. (ग) भवन निर्माणाधीन है, जिसे यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जावेगा.

अटल आवास हेतु स्वीकृत राशि

3. (*क्र. 2633) श्री उदय मुदलियार : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर पालिक निगम, राजनांदगांव को वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में शासन से अटल आवास के लिए कितनी राशि प्राप्त हुई ? (ख) उक्त वर्षों में कुल कितने अटल आवास निर्मित हो गये एवं कितने अपूर्ण है एवं एक आवास की औसत लागत क्या है ? (ग) अटल आवास प्रदान करने के लिए क्या अर्हता है ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : (क) वर्ष 2004-05 में रुपये 50.00 लाख और वर्ष 2005-06 में रुपये 20.00 लाख. (ख) भू-तल में 100 आवास एवं प्रथम तल में 42 आवास कुल 142 आवास पूर्ण किये गये हैं. 58 आवास निर्माणाधीन है. प्रति आवास औसत लागत रुपये 50,000=00 है. (ग) गरीबी रेखा के नीचे उर्रा उसके आसपास, जीवन यापन करने वाले आवासहीन को और अतिक्रमिit शुग्गी बस्तियों के आवासहीन को, व्यवस्थापित करने के लिए, कलेक्टर की अध्यक्षता की समिति द्वारा, हितग्राहियों को चयन किया जाता है.

दन्तेवाड़ा जिले में संचालित छात्रावास/आश्रम शालाओं हेतु क्रय की गई सामग्री

4. (*क्र. 1602) श्री लच्छूराम कश्यप : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दन्तेवाड़ा जिले में संचालित छात्रावासों/आश्रम शालाओं के लिए वर्ष 2004-05 में क्या-क्या सामग्री की खरीदी कितनी-कितनी राशि की जिला स्तर पर की गई है ? (ख) क्या सामग्री क्रय बाबत समिति का गठन किया गया था ? यदि हां, तो क्रय समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ? (ग) सामग्री की आपूर्ति किन-किन फर्मों या संस्था द्वारा की गई है ? फर्म का नाम एवं पता बतावें ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" पर है. (ख) हां. क्रय समिति के सदस्य निम्नानुसार हैं-

1. कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	-	अध्यक्ष
2. जिला कोषालय अधिकारी दंतेवाड़ा	-	सदस्य
3. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास दंतेवाड़ा	-	सदस्य सचिव
4. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दंतेवाड़ा	-	सदस्य
5. सहायक संचालक, हाथकरघा विभाग जगदलपुर	-	सदस्य

(ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" पर है.

धरसीवा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत भू-अधिग्रहण मुआवजा के संबंधित प्रकरण

5. (क्र. 2480) श्री देवजी भाई पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धरसीवा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत 31 जनवरी, 2006 की स्थिति में भूमि अधिग्रहण के मुआवजे संबंधी कितने प्रकरण लंबित हैं ? (ख) शासकीय प्रयोजन के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजा भुगतान हेतु क्या दिशा निर्देश हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री वृजमोहन अग्रवाल) : (क) कोई प्रकरण लंबित नहीं है. (ख) शासकीय प्रयोजन के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा धारा 4(1) के प्रकाशन की तिथि को बाजार मूल्य की दर पर मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाता है. धारा 6 के तहत अंतिम अधिसूचना का प्रकाशन किया जाता है तथा धारा 9(3) के तहत कृषकों के आपत्ति की सुनवाई की जाती है. आपत्ति का निराकरण कर धारा 11 के तहत भू-अर्जन अधिकारी द्वारा अवार्ड स्वीकृत कर मुआवजा राशि का भुगतान किया जाता है.

प्रदेश में सरस्वती योजना के तहत निःशुल्क सायकल वितरण का प्रावधान

6. (क्र. 191) महन्त रामसुन्दर दास : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को "सरस्वती योजना" के अन्तर्गत विद्यालय जाने हेतु निःशुल्क सायकल प्रदान करने की योजना है ? यदि हां, तो 1 जनवरी, 2004 से 31 दिसम्बर, 2005 तक पूरे प्रदेश में कितने सायकल बांटी गई ? (ख) जिला जांजगीर-चांपा के पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में उपरांत समयावधि में कितनी सायकल, किन-किन विकासखण्डों में किन-किन हितग्राहियों को प्रदान की गयी ? (ग) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अध्ययनरत इस योजना के लिए छात्र छात्राये कितने हैं उनमें से कितने को निःशुल्क सायकल प्रदान कर दी गयी है ? शेष को कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : (क) जी हां. 17688 सायकलें बांटी गई हैं. (ख) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 67 सायकलें बांटी गई हैं. विकासखण्ड एवं हितग्राहियों के नाम सहित जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है. (ग) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में योजना अन्तर्गत पात्र 459 छात्राये हैं उसमें से 67 छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदान कर दी गई है. शेष छात्राओं को यथाशीघ्र प्रदान किया जावेगा, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है.

अन्त्यवसायी योजना में अनुदान का प्रावधान

7. (क्र. 2283) डॉ. बालमुकुन्द देवांगन : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्त्यवसायी निगम द्वारा पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए किन-किन योजनाओं में कितना-कितना ऋण तथा अनुदान दिये जाने का प्रावधान है ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : अन्त्यावसायी निगम द्वारा पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए- 1. नई स्वर्णिमा योजना में रु. 50,000/- तक प्रति प्रशिक्षणार्थी ऋण दिये जाने का प्रावधान है. 2. शैक्षणिक ऋण योजना में प्रति लाभार्थी अधिकतम रु. 75,000/- प्रति वर्ष एवं पूर्ण कोर्स हेतु अधिकतम रु. 3.00 लाख ऋण दिये जाने का प्रावधान है. 3. स्वयं सक्षम योजना में (जिन्होंने व्यावसायिक प्रशिक्षण लिया है) अधिकतम रु. 5.00 लाख प्रति लाभार्थी ऋण दिये जाने का प्रावधान है. 4. माइक्रो फायनेंस योजना में अधिकतम ऋण सीमा प्रतिव्यक्ति रु. 25,000/- है. 5. महिला मृद्धि योजना में अधिकतम प्रतिव्यक्ति ऋण सीमा 25,000/- है. 6. प्रशिक्षण योजना उद्यमिता, दक्षता को बढ़ाने हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण देने की योजना है. किसी भी ऋण योजना में अनुदान दिये जाने का प्रावधान नहीं है.

नवीन आश्रम खोलने के मापदण्ड

8. (क्र. 2019) श्री बोधराम कंवर : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवीन आश्रम खोलने हेतु कौन-कौन से मापदण्ड हैं ? (ख) कोरबा जिले में कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से आश्रम संचालित हैं ? (ग) कोरबा जिले में नवीन आश्रम खोलने हेतु किन-किन स्थानों का प्रस्ताव विचारार्थ है ? विकासखण्डवार जानकारी दें ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : (क) नवीन आश्रम खोलने संबंधी निर्धारित मापदण्ड प्रपत्र “अ” पर संलग्न है. (ख) जानकारी प्रपत्र “ब” पर संलग्न है. (ग) निम्न स्थानों पर नवीन आश्रम शाला खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है.

क्रमांक	स्थान का नाम	विकासखण्ड
1.	मातिन	पोड़ीउपरोड़ा
2.	सिल्ली	पाली

जिला जशपुर को सूखा राहत हेतु स्वीकृत राशि

9. (*क्र. 2461) श्री रामपुकार सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2005-06 में सूखा राहत हेतु जिला जशपुर को कितनी राशि का आवंटन प्राप्त हुआ ? (ख) उपरोक्त आवंटन को किस-किस विकासखण्ड में किन-किन कार्यों हेतु कितना-कितना व्यय किया गया ? विवरण दें ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

आवासीय प्रयोजन हेतु अर्जित भूमि की जानकारी

10. (*क्र. 2479) श्री देवजी भाई पटेल : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आवासीय योजना के तहत डंगनिया, ग्राम, सोनडोंगरी, कोटा, जरवाय, हीरापुर, कबीर नगर रायपुर में आवासीय प्रयोजन हेतु कितनी-कितनी भूमि अर्जित की गई है ? (ख) क्या भूमि का अधिग्रहण कर, आवास योजना क्रियान्वयन एजेंसियों को आवंटित कर दी गई है ? यदि हाँ, तो किन-किन एजेंसियों को कहाँ-कहाँ पर ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : (क) ग्राम डंगनिया में - 39.24 एकड़. ग्राम सोनडोंगरी में - 89.29 एकड़. ग्राम कोटा में - 11.11 एकड़. ग्राम जरवाय/हीरापुर में - 22.60 एकड़. कबीर नगर कोई राजस्व ग्राम नहीं है. (ख) जी हाँ. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल रायपुर को.

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “एक”

[तारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 1602) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

क्रमांक	सामग्री का नाम	राशि
1.	मच्चरदानी	27,93,000
2.	चादर	16,21,100
3.	कम्बल	24,70,550
4.	बाल्टी	2,22,144
5.	वेट मशीन	1,80,000
6.	विद्युत इन्वर्टर	8,84,952
7.	फिनाइल	90,000
8.	इकोलक्स बल्ब	3,12,000
9.	ट्यूबलाईट राइड	55,193
10.	ट्यूबलाईट पट्टी	2,20,000
योग		88,48,939

प्रपत्र “ब”

क्रमांक	फर्म/संस्था का नाम एवं पता
1.	छ.ग. सेल्स अटारी, हीरापुर रायपुर (सी.एस.आई.डी.सी. से पंजीकृत)
2.	आकांक्षा रेडीमेड इण्डस्ट्रीज राजनांदगांव (खादीबोर्ड से पंजीकृत)
3.	महाप्रबंधक छ.ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित रायपुर
4.	आकांक्षा रेडीमेड इण्डस्ट्रीज राजनांदगांव (खादीबोर्ड से पंजीकृत)
5.	आकांक्षा रेडीमेड इण्डस्ट्रीज राजनांदगांव (खादीबोर्ड से पंजीकृत)
6.	अंकुर इण्डस्ट्रीज, रायपुर (सी.एस.आई.डी.सी. से पंजीकृत)
7.	जैन ट्रेडर्स बचेली (कोटेशन द्वारा)
8.	नूक्लेयस इलेक्ट्रो इन्टरप्राइजेस जहांगीराबाद भोपाल (सी.एस.आई.डी.सी. से पंजीकृत)
9.	धनवंतरी केमिकल्स बिलासपुर (सी.एस.आई.डी.सी. से पंजीकृत)
10.	बजाज इलेक्ट्रिकल्स, जी.ई. रोड, रायपुर

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 191) के भाग (ख) की जानकारी]

विकासखण्डवार वितरित सायकल की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड	शाला का नाम	छात्रा का नाम जिसे सायकल वितरित किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पामगढ़	शा.उ.मा.शा. राहौद	कु. राजलक्ष्मी
2.		शा.उ.मा.शा. राहौद	श्यामकला
3.		शा.उ.मा.शा. खरौद	सुमन सौरा
4.		शा.उ.मा.शा. खरौद	गायत्री रोहिदास
5.		शा.उ.मा.शा. पामगढ़	मीनाक्षी
6.		शा.उ.मा.शा. ससहा	देवकी
7.		शा.उ.मा.शा. ससहा	सोसनकुमारी
8.		शा.उ.मा.शा. ससहा	अनुदा
9.		शा.उ.मा.शा. ससहा	उज्जैनकुमारी
10.		शा.उ.मा.शा. ससहा	सहोदरा
11.		हाईस्कूल तनौद	बम्लेश्वरी
12.		हाईस्कूल तनौद	ममता
13.		हाईस्कूल तनौद	चरण
14.		हाईस्कूल तनौद	हेमबाई
15.		हाईस्कूल तनौद	सुखबाई
16.		क. पामगढ़ तनौद	मंजु
17.		क. पामगढ़ तनौद	ललिता
18.		क. पामगढ़ तनौद	विलिना
19.		क. पामगढ़ तनौद	रीना
20.		शा. हाईस्कूल मिलौनी	प्रिया
21.		शा. हाईस्कूल मिलौनी	प्रियंका
22.		शा. हाईस्कूल मिलौनी	पार्वती
23.	नवागढ़	शा. हाईस्कूल अमोदा	कु. भगवती
24.		शा. हाईस्कूल अमोदा	कु. खीखबाई
25.		शा. हाईस्कूल अमोदा	सावित्रीबाई
26.		शा. हाईस्कूल अमोदा	वृहस्पतिबाई
27.		शा. हाईस्कूल अमोदा	गुरुवारी
28.		शा. हाईस्कूल अमोदा	कु. रेखा
29.		शा. हाईस्कूल अमोरा	कु. सुरेखा
30.		शा. हाईस्कूल अमोरा	सरोजनी
31.		शा. हाईस्कूल अमोरा	कु. सविता
32.		शा. हाईस्कूल अमोरा	सरस्वती

(1)	(2)	(3)	(4)
33.		शा. हाईस्कूल अमोरा	बेबी
34.		शा. हाईस्कूल सरखो	सोनम
35.		शा. हाईस्कूल सरखो	नीता
36.		शा. हाईस्कूल सरखो	बृहस्पति
37.		शा.उ.मा.शा. बोडसरा	संतोषी
38.		शा.उ.मा.शा. बोडसरा	कु. रीना
39.		शा.उ.मा.शा. शिवरीनारायण	कु. सरिता
40.		शा.उ.मा.शा. शिवरीनारायण	कु. ममता
41.		शा.उ.मा.शा. शिवरीनारायण	मीना
42.		शा.उ.मा.शा. शिवरीनारायण	मधुराज
43.		शा.उ.मा.शा. नवागढ़	कु. गंगेश्वरी
44.		हाईस्कूल सिंऊड	कु. रम्भा
45.	बम्हनीडीह	शा.उ.मा.शा. अफरीद	कु. गुडिया
46.		शा.उ.मा.शा. अफरीद	कु. पुष्पलता
47.		शा.क.उ.मा.शा. चाम्पा	कु. रीना कंवर
48.		शा. हाईस्कूल सरहर	कु. गीता भैना
49.		शा. हाईस्कूल सरहर	कु. मीना कुमारी
50.		शा.उ.मा.शा. झरना	कु. सरोजनी
51.		शा.उ.मा.शा. झरना	कु. लता
52.		शा.उ.मा.शा. झरना	कु. अनिता
53.		शा.उ.मा.शा. झरना	कु. संतोषी
54.		शा.उ.मा.शा. झरना	कु. नोहरी
55.		शा.उ.मा.शा. सेमरिया	कु. मंजूलता
56.		शा.उ.मा.शा. सेमरिया	कु. धन कुमारी
57.		शा. हाईस्कूल सरहर	कु. अंजली
58.		शा. हाईस्कूल सरहर	राज कुमारी
59.		शा. हाईस्कूल सरहर	कु. मालती बाई
60.		शा.उ.मा.शा. अफरीद	कु. सुनिता
61.		शा.उ.मा.शा. सेमरिया	कु. बिन्दु कुमारी
62.		शा.उ.मा.शा. सारागांव	कु. सुनिता
63.		शा.उ.मा.शा. चोरिया	कु. रंजना
64.		शा.उ.मा.शा. चोरिया	कु. सरिता
65.		शा.उ.मा.शा. चोरिया	कु. फूलबाई
66.		शा.उ.मा.शा. चोरिया	कु. लच्छन बाई
67.		शा.उ.मा.शा. चोरिया	कु. सुरुति

परिशिष्ट “तीन”

[तारांकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 2019) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

नवीन आश्रम खोलने संबंधी निर्धारित मापदण्ड

1. आश्रम शालाएं कक्षा 4 से कक्षा 8 तक के लिए ही खोली जाएगी। कक्षा 1, 2, 3 के लिए केवल कनिष्ठ प्राथमिक शालाएं खोली जाएगी।
2. जिन क्षेत्रों में महिला साक्षरता 10 प्रतिशत से कम है वहां कन्या आश्रम चरणबद्ध तरीके से खोले जावेंगे।
3. विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्र में आश्रम खोले जाये विशेष रूप से शहरिया क्षेत्र में अधिक ध्यान दिया जाए। इस के अतिरिक्त कुडाकू एवं पण्डों जनजाति के लिए भी आश्रम शालाएं खोली जाएं।

प्रपत्र “ब”

क्रमांक (1)	स्थान का नाम (2)	आश्रम का नाम (3)
1.	कोरबा	आदि. कन्या आश्रम
2.	तिलकेजा	आदि. कन्या आश्रम
3.	श्यांग	आदि. कन्या आश्रम
4.	कुदमुरा	आदि. कन्या आश्रम
5.	भैसमा	आदि. कन्या आश्रम
6.	करतला	आदि. कन्या आश्रम
7.	रामपुर	आदि. कन्या आश्रम
8.	नोनबिरा	आदि. कन्या आश्रम
9.	रजकम्मा	आदि. कन्या आश्रम
10.	पाली	आदि. कन्या आश्रम
11.	सिरकी	आदि. कन्या आश्रम
12.	बिझरा	आदि. कन्या आश्रम
13.	मडई	आदि. कन्या आश्रम
14.	कोनकोना	आदि. कन्या आश्रम
15.	घरीपखना	आदि. कन्या आश्रम
16.	कटोरीनगोई	आदि. कन्या आश्रम
17.	सिंधिया	आदि. कन्या आश्रम
18.	लेमरू	आदि. बालक आश्रम
19.	गढ़उपरोड़ा	आदि. बालक आश्रम
20.	नवगांव	आदि. बालक आश्रम
21.	नंदनपुर	आदि. बालक आश्रम
22.	कोरकोमा	आदि. बालक आश्रम
23.	रामपुर	आदि. बालक आश्रम
24.	बेहरचुंवा	आदि. बालक आश्रम
25.	तुमान	आदि. बालक आश्रम
26.	वीरतराई	आदि. बालक आश्रम
27.	भैसामुंडा	आदि. बालक आश्रम

(1)	(2)	(3)
28.	कर्पाली	आदि. बालक आश्रम
29.	कनकी	आदि. बालक बिझवार आश्रम
30.	चैतमा	आदि. बालक आश्रम
31.	मुरली	आदि. बालक आश्रम
32.	चोढा	आदि. बालक आश्रम
33.	हरदीबाजार	बिझवार बालक आश्रम
34.	कटसिरा	आदि. बालक आश्रम
35.	सरभोका	आदि. बालक आश्रम
36.	पोडी उपरोडा	आदि. बालक आश्रम
37.	सिरी	आदि. संयुक्त आश्रम
38.	देवपहरी	आदि. संयुक्त आश्रम
39.	बरपाली	आदि. संयुक्त आश्रम